न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः— डॉ. राकेश कुमार शर्मा आर.ए.एस.

अपील संख्या 87/2018

1. महावीर प्रसाद
2. कमलेश कुमार

पुत्रगण मगनलाल जाति ब्राहमण निवासी 7 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर। —अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत 5 ए.एस. तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोंडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू—राजस्व अधि. 1956

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीविजयनगर
दिनांक 21.06.2018

उपस्थिति—
अभिभाषक अपीलांट अनुपस्थित
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक— 15.7.2019

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 21.06.2018 से

(A) तहसीलदार(भू.अ.) श्रीविजयनगर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने हेतु प्रस्ताव दिनांक 05.12.2016 को राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप—6 दिनांक 10.08.2016 चालू कदीमी रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वारा —2018 कैम्प ग्रा0पं0 10एएस में प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर आदेश दिया कि चक 5 एएस(बी) में प.नं. 193/454(34) कि.नं. 25 में 0.025है0 एवं चक 7 ए.एस(बी) के प.नं. 192/455 के कि.नं. 1, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक किला में 0.025है0 रकबा कदीमी पुराना रास्ता वर्षों से चला आ रहा है को राजस्व अभिलेख में राजस्थान भू—राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 60 के तहत एवं राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप—6 विभाग दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में नजरी नक्शानुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

खातेदार के खाते में रखते हुए गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये।

(B) उक्त आदेश से व्यथीत होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अपील के साथ अपीलांट ने धारा 96 सीपीसी का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है।

2. विद्वान अभिभाषक अपीलांट के अनुपस्थित होने पर राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

(I) विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधी. न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत है इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अधी. न्यायालय ने पुराने चालू रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने का अपीलाधीन आदेश राजस्थान भू–राजस्व (भू.अ.) नियम 1957 के नियम 60 के तहत एवं राज्य सरकार के परिपत्र राजस्व ग्रुप–6 विभाग दिनांक 10.08.2016 की अनुपालना में नजरी नक्शा का अवलोकन कर ही किया गया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट खारिज की जावे।

3. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्ट है कि चालू प्रचलित रास्ता विद्यमान है व बरसों से निर्बाध आवागमन है किन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं है। अतः लोकहित में अधी. न्यायालय का आदेश भू राजस्व अधि. 1957 के नियम 60 के तहत व राज्य सरकार के परिपत्र की मंशा के अनुरूप है। अपीलांट की अपील का कोई औचित्य नहीं है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय दिनांक 21.06.2018 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15-7-2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर